भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1561

28 जुलाई, 2026 को उत्तरार्थ

विषय: कर्ज के कारण किसानों द्वारा आत्महत्या

1561. श्रीमती हरसिमरत कौर बादलः

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पंजाब से ऋण के कारण किसानों की आत्महत्याओं की लगातार खबरें आ रही हैं;

(ख) क्या ऋणग्रस्तता के कारण किसानों द्वारा आत्महत्या किए जाने के संबंध में राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर कोई व्यापक और अद्यतन ब्यौरा है;

(ग) यदि हां, तो विगत पांच वर्षों (2022-26) में प्रत्येक वर्ष के दौरान पंजाब राज्य में किसानों द्वारा की गई आत्महत्याओं की कुल संख्या का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक वर्ष इसके लिए किन मुख्य कारणों की पहचान की गई है और आत्महत्या करने वाले किसानों के परिजनों को कितना मुआवजा दिया गया है; और

(घ) क्या सरकार के पास सी 2 लागत और 50% लाभ के बराबर न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए एमएस स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश को कानूनी मान्यता देने और उसके व्यापक कार्यान्वयन के लिए कोई योजना है जिसकी मांग पंजाब में किसान संघ लगातार ऋणसंकट के एकमात्र स्थायी समाधान के रूप में करते रहे हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ग): गृह मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) 'भारत में आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्याएं' (एडीएसआई) नामक प्रकाशन में आत्महत्याओं से संबंधित जानकारी संकलित और प्रसारित करता है। 2024 तक की रिपोर्ट एनसीआरबी की वेबसाइट (https://ncrb.gov.in) पर उपलब्ध है। पंजाब राज्य सरकार अपने राज्य की नीति के अनुसार मृतक किसान के निकटतम परिजन को 3.00 लाख रुपये का भुगतान करती है।

(घ): कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर, राज्य सरकारों और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के विचारों को ध्यान में रखते हुए, सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 22 कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) देश के लिए समग्र रूप से निर्धारित किए जाते हैं। यह नीति अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत पर न्यूनतम 50 प्रतिशत का मार्जिन सुनिश्चित करती है।
